संख्या– 562 / 64–XXVI / 2004

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0,
देहरादून।

नियोजन अनुभाग। देहरादूनः दिनांकः 20 नवम्बर, 2004

विषयः–भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के कार्यशील पूंजी के आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–250 / III–29, दिनांक 24 सितम्बर, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के उपयोगार्थ गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 के पी0एल0ए0 खाते में जमा धनराशि रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) में से भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण को उत्तरांचल में क्रियाशील किये जाने हेतु अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में आकस्मिक एवं आनुषंगिक व्ययों को वहन करने के लिए यथा आवश्यकता नियोजन अनुभाग की मांग पर धनराशि आहरित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उपर्युक्तानुसार आहरित की गयी धनराशि का समायोजन सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात की जानी होगी।

3– एक बार आहरित धनराशि व्यय होने के पश्चात ही दुबारा धनराशि की मांग की जा सकेगी।

4– उक्त आहरित धनराशि का व्यय सचिव, नियोजन अर्थात सदस्य सचिव, प्राधिकरण के निर्देशानुसार ही व्यय की जायेगी।

5– उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

6– वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राधिकरण को क्रियाशील करने पर सम्पूर्ण धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा तथा उसकी एक प्रति शासन के वित्त विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—1817/वि0अनु0—3/2004, दिनांक 17 नवम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव।

संख्या—562 (1)/64—XXVI/2004,तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3— निजी सचिव,मा0 उपाध्यक्ष, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4— वित्त अनुभाग—3,उत्तरांचल सचिवालय।
5— समन्वयक, सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।